

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत				
	अनुदान संख्या 10							
	2056-जेलें							
	001- निदेशन तथा प्रशासन							
	00-कारागार अधिष्ठान							
	03- कारागार अधिष्ठान, 04-कारागार मुख्यालय							
1	अधिष्ठान पर व्यय-	कारागारों में निरुद्ध बंदियों का रख-रखाव	2259.80	-	प्रदेश की 10 कारागारों तथा कारागार मुख्यालय में कार्यरत 684 कार्मिकों तथा कोर्यालयों हेतु	01 वर्ष	100 प्रतिशत बंदियों की सुरक्षा व्यवस्था तथा कार्यालय कार्य	01 वर्ष
2	बंदियों के रख-रखाव पर व्यय	एवं उनकी सुरक्षा हेतु	1423.00	-	प्रदेश की 10 कारागारों में लगभग 4500 बंदियों को निरुद्ध करने हेतु	01 वर्ष	100 प्रतिशत बंदियों का रख-रखाव,	01 वर्ष
3	बंदियों के प्रक्षिक्षण/कार्यशाला आदि पर व्यय		80.00	-	03 कारागारों में कृषि बागवानी व कारागार उद्योग संचालन एवं बंदियों के प्रक्षिक्षण हेतु	01 वर्ष	बंदियों को समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु उनमें सुधारात्मक कार्य, विभिन्न ट्रेड में प्रक्षिक्षण, कार्यशालाओं का आयोजन	01 वर्ष
	अनुदान संख्या 10							
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय							
	80-सामान्य							
	800-अन्य व्यय							
	04-जेलों का निर्माण /भूमि क्रय							
1	वृहद् निर्माण/अनुरक्षण कार्य	कारागार विहीन जनपदों में कारागार तथा मुख्यालय का निर्माण	-	400.00	06 कारागार विहीन जनपदों के मुख्यालय में कारागार का निर्माण तथा 03 कारागारों में विस्तारीकरण के कार्य व आवासीय भवनों का निर्माण	01 वर्ष	दूसरे जनपदों की कारागारों में ओवर काउडिंग को कम करना तथा उनको लाने-ले जाने पर व्यय की बचत व उनकी सुरक्षा। कार्मिकों की आवासीय समस्याओं का निराकरण।	01 वर्ष
2	कारागारों की सुरक्षा हेतु कार्य	कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था	200.00	-	समस्त 10 कारागारों में सी०सी०टी०वी० व मोबाइल जैमर, मेटल डिटेक्टर आदि की व्यवस्था	01 वर्ष	कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करना तथा प्रशासनिक प्रबंधन का विकास करना।	01 वर्ष
	योग		3962.80	400.00				

(डॉ०पी०वी०के० प्रसाद)
महानिरीक्षक कारागार।